अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

लाजवती देवी पत्नी स्व. श्री बिहारी लाल नेनपुरिया निवासी एस–54–55, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. पूनम महावर पत्नी श्री राधामोहन पुत्री श्री देवीलाल कोली निवासी ग्राम हीरावाला, पोस्ट रूपवास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल निवासी एस–54–55, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर ।
2. हनुमान सहाय पुत्र श्री देवीलाल
3. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी देवीलाल कोली
4. देवीलाल पुत्र स्व. श्री रघुनाथ कोली
   निवासी ग्राम हीरावाला, पोस्ट रूपवास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
5. अन्य 4–5 व्यक्ति ।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.10.2022 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 31/2021 ब–उनवानी लाजवती देवी बनाम पूनम महावर व अन्य

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. रेस्पोडेन्ट सख्यां 01 लगायत 4 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 18.03.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 31/2021 ब–उनवानी लाजवंती देवी बनाम पूनम महावर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.10.2022 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। रेस्पोडेन्ट स्वयं मय प्रतिनिधि के उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलार्थिया के प्रतिनिधि ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलार्थिया की पुत्रवधु है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 पुत्रवधु के पीहर पक्ष के लोग है। अपीलार्थिया वृद्व महिला व वरिष्ठ नागरिक है जो कि अत्याधिक बीमार रहती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थिया के पुत्र पर दहेज अन्य झूंठे मुकदमें दर्ज करवा रखे थे, जिससे अपीलार्थिया के पुत्र राधामोहन ने रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 से परेशान होकर दिनांक 14.02.2021 को आत्महत्या कर ली। अपीलार्थिया के पति का देहान्त 22.04.2021 को हो गया । अपीलार्थिया के पति एवं पुत्र का देहान्त हो जाने के पश्चात अपीलार्थिया की पुत्रवधु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दिनांक 20.07.2021 को करीब 9 साल बाद घर में 8–10 लोगों को लेकर अचानक से आई और घर में आते ही लड़ाई झगडा शुरू कर मकान में रहना शुरू कर दिया और धमकी दी कि मुझे उक्त मकान में हिस्सा दो नहीं तो तुझे झूंठे केशों में फंसाने दूंगी। अपीलार्थिया ने डर कर दिनांक 20.07.2021 को ही पुलिस थाना मे रिपोर्ट दर्ज कराई । अपीलार्थिया स्वयं एक राजपत्रित अधिकारी रही है और अपने जीवन काल में मकान नम्बर एस–54–55 बरकत नगर टोंक रोड, जयपुर को खरीदा था जिसकी अपीलार्थिया एक मात्र मालकिन व स्वामी है। रेस्पोडेन्ट्स के कृत्यों से परेशान होकर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 5 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत परिवाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट्स को मारपीट व गाली गलोच नहीं करने हेतु पाबन्द करने एवं अपीलार्थिया के मकान से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया था, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने केवल रेस्पोडेन्ट को पाबन्द तो कर दिया, किन्तु मकान से बेदखल किये जाने का अनुतोष स्वीकार नहीं किया । अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2022 को पारित किया गया है, किन्तु अपीलार्थिया के वृद्व व बीमार होने से व स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर पाई जिसके लिए विलम्ब अवधि माफ करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर मैरिट पर अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के मकान से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेदखल किये जाने का आदश फरमावें। ताकि अपीलार्थिया अपना शेष जीवन शान्ति से गुजार सके।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति अपीलार्थिया का पुत्र है जिसकी मृत्य हो जाने के बाद भी अपीलार्थिया द्वारा लगातार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हैरान व परेशान किया जाता रहा है। रेस्पोडेन्ट अपनी पति की मृत्यु के बाद से उक्त मकान में निवास कर रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलार्थिया की पुत्रवधु होने के नाते अपीलार्थिया की सम्पत्ति में हिस्सेदार व हकदार है। अपीलार्थिया जबरन उसे निकालना चाहती है। रेस्पोडेन्ट उक्त मकान के एक कमरे में निवासी करती है। बाकी अपीलार्थिया के पास ही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास अन्य दूसरा कोई रहने का स्थान नहीं है। अपीलार्थिया स्वयं राजपत्रित अधिकारी से सेवा निवृत्त है। जिसके पास जयपुर मे कोने कोने में मकानात व भू खण्ड है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास निवास के लिए उक्त प्लाट एस–54–55 बरकत नगर टोंक फाटक जयपुर मे रिहायश के लिए केवल एक कमरा ही है। अपीलार्थिया व उसके अन्य पुत्र व पुत्रवधुओ ने मिल कर झूंठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

यह परिवाद पेश किया गया था जिसमें बेदखल किये जाने का अनुतोष नहीं दिया गया है। अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार से संशोधन किया जाना उचित नहीं है। अपील विलम्ब से पेश की गई है । उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. सर्व प्रथम अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थिया द्वारा अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। अपील का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

8. अपीलार्थिया ने यह अपील प्रस्तुत कर, अपने स्वयं के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर एस–54–55 बरकत नगर टोंक रोड जयपुर से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। विवादित सम्पत्ति अपीलार्थिया के स्वामित्व की है । माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) है जो इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलार्थिया के स्वामित्व की उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाना उचित है। अपीलार्थी का यह अनुताष स्वीकार योग्य है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

9. अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2022 को अपास्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पति मकान नम्बर एस–54–55 बरकत नगर टोंक रोड जयपुर से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 को अपीलार्थिया से लडाई झगडा, गाली गलौच व मारपीट नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है ।

10. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner